कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांकः 1718 /14–1 दिनांकःऔरैयाःदिसम्बर, 06 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

विषयः– जनपद औरैया के अन्तर्गत तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशों को अनुपालन हेतु वन विभाग की 3.943 हे0 आरक्षित वन भूमि के विनिमय के सम्बन्ध में गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 508 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 329/81–2–2022–800(331) दिनांक 11.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र औरैया के भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों की समस्यों के दृष्टगत मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा ग्राम वासियों को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को यथा आवश्यक निर्देश दिये जो मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की घोषणाओं के अन्तर्गत आच्छादित है। ग्राम अस्ता के लोगों को वन विभाग के ऊँचे क्षेत्र में बसाये जाने से प्रभावित वन विभाग की वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि राजस्व विभाग द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। इस गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण का व्यय भार राजस्व विभाग, औरैया के व्यय पर वन विभाग द्वारा किया जायेगा। अर्थात् इस गैर वानिकी कार्यों को राजस्व विभाग प्रस्तावित के रूप में रहेगा। तथा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर इस वन प्रभाग से आख्या चाही गई है जिनको निराकरण कराकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

बिन्दु सं0	विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	विषयगत प्रस्ताव विनिमय से संबंधित है अथवा लीज ? प्रस्ताव में ग्राम को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मं से ऊँचे क्षेत्र में शिफ्टिंग किये जाने से संबंधित प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980 में भारत सरकार के सुसंगत दिशा निर्देश स्पष्ट करें।	विषयगत प्रकरण गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित है त्रुटिवस विनिमय शब्द अंकित हो गया है मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बाढ़ ग्रस्त इलाके का भ्रमण के दौरान घोषणा की गई कि ग्राम अस्ता वासियों के गैर वानिकी प्रयोग हेतु ऊँचे स्थान पर वन भूमि में बसाया जाये के अनुपालन में वन विभाग के प्रभावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि राजस्व विभाग, औरैया द्वारा वन विभाग को दी जायेगी। वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
2	आपके पत्र दिनांक 30.09.2022 के बिन्दु सं0 9 में समतुल्य गैर वनभूमि की वानिकी उपयुक्तता के ग्राहयता पर भी आख्या प्रस्तुत की जाय।	प्रभावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित राजस्व विभाग, औरैया द्वारा वन विभाग को उपलब्ध करायेगा।
3	मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 को संबधित जिलाधिकारी, औरैया के पत्र दिनांक 22.08.2022 में उल्लिखित भूमि प्रबंधक समिति द्वारा विधिवत् प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त विनिमय प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का कथन अंकित है। क्या इस संबंध में वन विभाग के नियमों/अधिनियमों से अवगत कराया गया था।	कार्यालय तहसीलदार, औरैया की पत्र संख्या 1068/रा0लि0/2022 दिनांक 30.11.2022 के बिन्दु संख्या 03/04 में अंकित है कि वन विभाग के नियमों /अधिनियमों से भूमि प्रबन्धक समिति को सामूहिक रूप से अवगत कराया गया और यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
4	वन भूमि के विनिमय की अनुबन्यता के संबंध में प्राविधान स्पष्ट करें ?	वनभूमि विनिमय के आधार पर दिये जाने का कथन त्रुटि वस अंकित हो गया है। प्रभावित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में राजस्व विभाग, औरैया द्वारा दी जायेगी।

संलग्नकः– तहसीलदार औरैया की पत्र संख्या 1068/रा0लि0/2022 दिनांक 30.11.2022 की छायाप्रति।

भवदीय

(इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

कार्यालय तहसीलदार औरैया।

पत्रांक 1068 रा0लि0 /2022 दिनांक नवम्बर 30 2022

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
औरैया।

विषय–मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन द्वारा तहसील औरैया के ग्राम अस्ता को उंचे स्थान पर बसाये जाने के लिये दिये गये निर्देशो के अनुपालन हेतु वन विभाग की भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुसचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0शासन लखनऊ के पत्र सं0 पी 329/41–2–2022–800 (331)/2022 दिनांक 11.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र में इंगित बिन्दु सं0 1 व 2 पर वस्तुस्थिति आपके विभाग से प्रेषत की जानी है तथा बिन्दु सं0 3 व 4 पर आख्या निम्न प्रकार है–

बिन्दु सं0 3– वन विभाग के नियमो/ अधिनियमो से भूमि प्रबन्धक समिति को सचिव भू0प्र0स0 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

बिन्दु सं0 4–वन अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग किये जाने की अनुमति अपेक्षित है तथा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष अन्य स्थान पर ग्राम सभा भूमि राजस्व विभाग द्वारा दी जायेगी

प्रस्तुत प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित है तथा जनहित का प्रकरण है। अतः सादर अनुरोध है कि उक्त वर्णित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु शासन का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

30/11/2022

तहसीलदार
औरैया।
(प्राधिकृत अधिकारी राजस्व विभाग)

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय औरैया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलधीकारी महोदय औरैया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार
औरैया।
(प्राधिकृत अधिकारी राजस्व विभाग)